प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 12.12.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता कुमार देवी पत्नी स्व0 ओरी निवासी ग्राम चिरैयाडाड़ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राममिलन साहनी , म0का0 सुनीता गौड़।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 228 वाहनों से 2,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 228 वाहनों से 2,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 11.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा शस्त्र अधिनियम के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-
दिनाँक – 28.09.2005 को थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पर वादी हे0का0 बजरंग सिंह थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा मय पुलिस बल के साथ अभियुक्त कृष्ण गोपाल पुत्र पारसनाथ त्रिपाठी निवासी खीरीडाड़ थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1596/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री आर0एस0 यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-
मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

- ***थाना धनघटा पुलिस की जाँच में झूठी निकली लूट की सूचना***
- ***फर्जी लूट सूचना पर तीन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई***
- ***कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना***
- ***झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: एस0 पी0 संतकबीरनगर***

झूठी सूचना का विवरण- शिकायतकर्ता निवासिनी ग्राम मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा डायल-112 पर दिनांक 11.12.2025 को समय करीब 19.20 बजे सूचना दिया गया कि मै अपने रिश्तेदारी में ग्राम रोशया बाजार गयी थी वापस आते समय रास्ते मे गाड़ी रोककर ग्राम कोहलवा पिच सड़क पर अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट कर मंगलसूत्र लूट लिए हैं।

उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अभय नाथ मिश्रा*** प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री जयप्रकाश दूबे,** निरीक्षक अपराध **श्री रामेश्वर यादव**, चौकी प्रभारी पौली उ0नि0 श्री नंदू गौतम द्वारा मय पुलिसबल के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल निरीक्षण कर शिकायतकर्ता व उनके रिस्तेदार से पूछताछ करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुयी। शिकायतकर्ता से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो बतायी कि शाम को मै अपने रिश्तेदारी मे ग्राम रोशया बाजार गयी थी वापस आते समय रास्ते मे गाड़ी रोककर ग्राम कोहलवा पिच सड़क पर अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट कर मंगलसूत्र लूट लिए हैं, घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर घटनास्थल पर शिकायकर्ता महिला से पूछ ताछ के दौरान बताया गया कि मैं राघवेन्द्र मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा ग्राम सुम्हाँ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर का आटो रिजर्व अपने रिश्तेदारी मे ग्राम रोशया बाजार गयी थी वापस आते समय रास्ते मे गाड़ी साइड करने को लेकर आटो चालक व तीन अज्ञात व्यक्तियो के मध्य विवाद हुआ था, जिन्हे झूठे मुकदमें मे फंसाने के लिये आटो चालक द्वारा मुझसे मंगलसूत्र छीनने की झूठी सूचना दिलाई गयी थी, उक्त सूचना शिकायतकर्ता के रिश्तेदार विशाल पुत्र बेचन प्रसाद ग्रा0 रोशया बाजार थाना धनघटा जनपद सं0क0नगर द्वारा अपने मोबाइल से डायल 112 पर दिया गया था।

झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने, अनावश्यक संसाधनों को व्यर्थ लगाने तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने के अपराध में मु0अ0स0 632/2025 धारा 217, 351(3) बीएनएस बनाम 01. राघवेन्द्र मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा ग्राम सुम्हाँ थाना दुधारा, 02. विशाल पुत्र बेचन प्रसाद ग्रा0 रोशया बाजार थाना धनघटा, 03. शिकायतकर्ता निवासिनी ग्राम मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत / सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 11.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा शस्त्र अधिनियम के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक – 28.09.2005 को थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पर वादी हे0का0 बजरंग सिंह थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा मय पुलिस बल के साथ अभियुक्त कृष्ण गोपाल पुत्र पारसनाथ त्रिपाठी निवासी खीरीडाड़ थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1596/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री आर0एस0 यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 09.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 16.12.2000 को वादी अलाउद्दीन पुत्र अमिरुद्दीन निवासी रानीसागर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त श्रवण राय पुत्र नागेन्द्र राय निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध साइकिल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 8479/17 धारा 379/411 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री जगम्बा प्रसाद द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व धारा 379 भा0द0वि0 में 1500 रु0 का अर्थदण्ड, धारा 411 भा0द0वि0 में 1500 रु0 के अर्थदण से दण्डित किया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 6500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.12.2025 को *मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर* द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 6500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

विदित हो कि दिनाँक 19.08.2019 को वादी हरीराम पुत्र वृजलाल निवासी मिश्रौलिया पंडित थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर सूचना दिया गया कि अभियुक्त रामराज गुप्ता पुत्र प्रेमप्रकाश गुप्ता निवासी गंगापुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/2019 धारा 323/325/504 भादवि0 व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी जी0डी मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी थी।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 222/2019 धारा 323/325/504 भादवि0 व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामराज गुप्ता पुत्र प्रेमप्रकाश गुप्ता उपरोक्त को धारा 323 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास व 500 रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 325 भादवि में 03 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 2000 रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रु0 का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा , धारा 3(1)द, एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1500 रु0 का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1500 रु0 का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के मामलें मे अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2,500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 11.12.2025 को मा0न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2,500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

घटना विवरणः-

दिनाँक 11.11.2009 को वादी राघव प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्रीरामजी पाण्डे निवासी भाटे थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त संतोष पुत्र वीपत निवासी उमिला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी को मोटर साइकिल यू0पी0 51 जे0 9570 से वादी के लड़के को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 2890/2009 धारा 279/337/338 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त संतोष पुत्र वीपत को जेल में बिताई गयी अवधि व धारा 279 भादवि में 1000 रु0 का0 अर्थदण्ड, धारा 337 भादवि में 500 रु0 का अर्थदण्ड, धारा 338 भादवि में 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।